हरियाणा सरकार

अनुपूरक अनुमान

2023-24
(दूसरी किस्त)

(राज्यपाल के आदेशानुसार हरियाणा विधान सभा को यथा–प्रस्तुत)

प्रस्तावना

इस खंड में सम्मिलित अनुपूरक मांगे चालू वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त है। इस खंड में अनुपूरक विनियोजन चालू वर्ष के दौरान मार्च 2023 में वित्त वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान राज्य विधान सभा के सम्मुख रखने के पश्चात उत्पन्न तत्कालिक खर्च को पूरा करने हेतु बजट अनुमान वित्त वर्ष 2023–24 द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि की आवश्यकता के कारण सम्मिलित किए गए हैं।

2. इस खंड में सम्मिलित कुल अतिरिक्त मांगे 2090.07 करोड़ रूपये की है, जिसमें से 1787.06 करोड़ रूपये राजस्व परिव्यय तथा 303.01 करोड़ रूपये पूंजीगत परिव्यय से संबंधित है। मांग संख्या 20 के तहत पूंजीगत परिव्यय (जल जीवन मिशन (राज्य का हिस्सा)) के अंतर्गत उपलब्ध 800 करोड़ रूपये अनुपयोगी राशि को समायोजित करने उपरांत शुद्ध अनुपूरक मांग 1290.07 करोड़ रूपये की है।

3. सरकारी खजाने पर पड़ने वाले 1290.07 करोड़ रूपये अतिरिक्त वित्तिय भार को भारत सरकार से अनुदान तथा राजस्व संग्रहण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाकर एवं अधिक राजस्व जुटाकर पूरा किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
वित्त विभाग।

अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त)

(राशि रुपयो मे)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन	2051-लोक सेवा आयोग	50,68,00,000	...	**50,68,00,000**		...	...	**...**	**50,68,00,000**	1-6
		2062-चौकसी	1,00,000	...	**1,00,000**		...	...	**...**	**1,00,000**	
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	50,00,000	...	**50,00,000**		...	...	**...**	**50,00,000**	
			...	...	**...**	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6,39,41,268	...	**6,39,41,268**	**6,39,41,268**	
		कुल	**51,19,00,000**	**...**	**51,19,00,000**	**कुल**	**6,39,41,268**	**...**	**6,39,41,268**	**57,58,41,268**	
04	राजस्व और आपदा प्रबन्धन /अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	2043-राज्य माल और सेवा कर पृष्ठ के तहत संग्रह शुल्क	1,00,000	...	**1,00,000**		...	...	**...**	**1,00,000**	7-9
		कुल	**1,00,000**	**...**	**1,00,000**		**...**	**...**	**...**	**1,00,000**	
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/ जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ अभियोजन/ एजीओटी/ कानूनी सेवा प्राधिकरण)	2055-पुलिस	1,00,000	...	**1,00,000**		...	...	**...**	**1,00,000**	10-13
		कुल	**1,00,000**	**...**	**1,00,000**		**...**	**...**	**...**	**1,00,000**	
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/ आपूर्ति एवं										14-18

अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त)

(राशि रुपयो मे)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निपटान/ आयोजना तथा सांख्यिकी	2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,05,00,000	...	**1,05,00,000**		...	...	**...**	**1,05,00,000**	
		2075-विविध सामान्य सेवाएं	2,49,82,865	...	**2,49,82,865**		...	...	**...**	**2,49,82,865**	
		कुल	**3,54,82,865**	**...**	**3,54,82,865**		**...**	**...**	**...**	**3,54,82,865**	
10	कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान /पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	2401-फसल कृषि कर्म	286,61,65,000	...	**286,61,65,000**		...	...	**...**	**286,61,65,000**	19-23
		कुल	**286,61,65,000**	**...**	**286,61,65,000**		**...**	**...**	**...**	**286,61,65,000**	
12	शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/ तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास	2202-सामान्य शिक्षा	17,07,00,000	...	**17,07,00,000**		...	...	**...**	**17,07,00,000**	24-36
		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	41,16,72,000	...	**41,16,72,000**		...	...	**...**	**41,16,72,000**	
		2236-पोषण	1,09,48,000	...	**1,09,48,000**		...	...	**...**	**1,09,48,000**	
			...	...	**...**	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	24,72,00,000	...	**24,72,00,000**	**24,72,00,000**	
			...	...	**...**	6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	50,00,00,000	...	**50,00,00,000**	**50,00,00,000**	
		कुल	**59,33,20,000**	**...**	**59,33,20,000**	**कुल**	**74,72,00,000**	**...**	**74,72,00,000**	**134,05,20,000**	

अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त)

(राशि रुपयो मे)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/ युवा मामले)	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1,00,000	...	**1,00,000**		...	...	**...**	**1,00,000**	37-39
		कुल	**1,00,000**	**...**	**1,00,000**		**...**	**...**	**...**	**1,00,000**	
17	लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन	...	...	...	**...**	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	172,44,00,000	...	**172,44,00,000**	**172,44,00,000**	40-44
		...	...	...	**...**	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	49,45,00,000	...	**49,45,00,000**	**49,45,00,000**	
		...	**...**	**...**	**...**	**कुल**	**221,89,00,000**	**...**	**221,89,00,000**	**221,89,00,000**	
19	ऊर्जा विभाग (विद्युत /नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमए सएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	2705-कमान क्षेत्र विकास	200,00,00,000	...	**200,00,00,000**		...	...	**...**	**200,00,00,000**	45-49
		2801-बिजली	926,25,00,000	...	**926,25,00,000**		...	...	**...**	**926,25,00,000**	
		कुल	**1126,25,00,000**	**...**	**1126,25,00,000**		**...**	**...**	**...**	**1126,25,00,000**	

अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त)

(राशि रुपयो मे)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) /जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	260,00,00,000	...	**260,00,00,000**		...	...	**...**	**260,00,00,000**	50-59
		2217-शहरी विकास	10,00,000	...	**10,00,000**		...	...	**...**	**10,00,000**	
		कुल	**260,10,00,000**	**...**	**260,10,00,000**		**...**	**...**	**...**	**260,10,00,000**	
		कुल जोड़	**1787,06,67,865**	**...**	**1787,06,67,865**	**कुल जोड़**	**303,00,41,268**	**...**	**303,00,41,268**	**2090,07,09,133**	

नोट:-

क्रम संख्या	मद	(राशि रुपयो मे)
1	**अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त)**	**2090,07,09,133**
2	मांग संख्या 20 के तहत उपलब्ध अप्रयुक्त राशि, मुख्य शीर्ष 4215- पूंजीगत योजना के तहत जल आपूर्ति और स्वच्छता अर्थात् पी-02-20-4215-01-101-98-99-16- आर.वी. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज का नाम बदलकर जेजेएम कवरेज (राज्य का हिस्सा)	800,00,00,000
3	बचत राशि का उपयोग: i. मांग संख्या 20 से मुख्य शीर्ष 2215-राजस्व (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 3 योजनाओं में)	260,00,00,000
	ii. मांग संख्या 19- मुख्य शीर्ष 2801- राजस्व (ऊर्जा विभाग की 2 योजनाओं में) विवरण पुस्तिका में दर्शाया गया है	540,00,00,000
4	**शुद्ध अनुपूरक राशि 2023-24 (दूसरी किस्त)**	**1290,07,09,133**

मांग संख्या 03

सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (II) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार दो सौ पैंतालीस करोड़ पैंतीस लाख अड़तीस हजार रुपये

प्रभारित: तिरेपन करोड़ तिरानबे लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: तैंतीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2051-लोक सेवा आयोग

राजस्व

स्वीकृत पचास करोड़ अड़सठ लाख रुपये

2062-चौकसी

राजस्व

स्वीकृत एक लाख रुपये

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

राजस्व

स्वीकृत पचास लाख रुपये

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत छह करोड़ उनतालीस लाख इकतालीस हजार दो सौ अड़सठ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2051-लोक सेवा आयोग

51-लागू नहीं

103-कर्मचारी चयन आयोग

99-स्थापना

51-लागू नहीं

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(05) कार्यालय खर्चे	(R)	45,00,000
(45) पी.ओ.एल.	(R)	8,00,000
(70) एल.टी.सी.	(R)	15,00,000
(89) विविध	(R)	50,00,00,000
कुल		**50,68,00,000**

कुल 2051-लोक सेवा आयोग **50,68,00,000**

2062-चौकसी

51-लागू नहीं

792-अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डालना

99-अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना

51-लागू नहीं

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(31) कर्जे/हानियों को बट्टे खाते डालना	(R)	1,00,000
कुल		**1,00,000**

कुल 2062-चौकसी **1,00,000**

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

51-लागू नहीं

190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य को सहायता उपक्रमों

99-दूसरा हरियाणा राज्य विधि आयोग

51-लागू नहीं

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(09) सहायतानुदान सामान्य (R)	50,00,000
कुल	**50,00,000**
कुल 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**50,00,000**
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-कार्यालय भवन	
051-निर्माण	
72-राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु योजना	
98-कार्यालय भन का निर्माण	
पूंजीगत	**₹**
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	6,39,41,268
कुल	**6,39,41,268**
कुल 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	**6,39,41,268**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	1247,36,38,000
प्रभारित	53,93,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	33,19,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	57,58,41,268
राजस्व	
स्वीकृत	51,19,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	6,39,41,268

प्रभारित ...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- **₹**

1392,06,79,268

राजस्व

स्वीकृत 1298,55,38,000

प्रभारित 53,93,00,000

पूंजीगत

स्वीकृत 39,58,41,268

प्रभारित ...

2051-लोक सेवा आयोग

51-लागू नहीं

103-कर्मचारी चयन आयोग

99-स्थापना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **50,68,00,000**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यालय व्यय , पी.ओ.एल, एल.टी.सी, तथा विविध के खर्चो को वहन करने के लिये 50,68,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अत: 50,68,00,000/- रुपये की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है ।
यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2062-चौकसी

51-लागू नहीं

792-अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डालना

99-अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई स्कीम है । जिसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 मे 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

51-लागू नहीं

190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य को सहायता उपक्रमों

99-दूसरा हरियाणा राज्य विधि आयोग

51-लागू नहीं

स्वीकृत **50,00,000**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सहयातानुदान सामान्य के खर्चो को वहन करने के लिये 50,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अत: 50,00,000/- रुपये की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01-कार्यालय भवन

051-निर्माण

72-राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु योजना

98-कार्यालय भन का निर्माण

स्वीकृत **6,39,41,268**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए 6,39,41,268/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 6,39,41,268/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (पूँजी) खर्च की मद है।

मांग संख्या 04
राजस्व और आपदा प्रबन्धन
/अग्निशमन कार्यालय
(अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी
एवं कराधान

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (III-IV) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: दो हजार नौ सौ चालीस करोड़ इक्यावन लाख बयालीस हजार चार सौ अट्ठावन रुपये

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: तीन सौ चौंतीस करोड़ रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2043-राज्य माल और सेवा कर पृष्ठ के तहत संग्रह शुल्क

राजस्व

स्वीकृत एक लाख रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2043-राज्य माल और सेवा कर पृष्ठ के तहत संग्रह शुल्क

51-लागू नहीं

001-निर्देशन और प्रशासन

99-मेरा बिल मेरा अधिकार

51-लागू नहीं

		₹
राजस्व		
स्वीकृत		
(59) ईनाम	(R)	1,00,000

कुल	**1,00,000**
कुल 2043-राज्य माल और सेवा कर पृष्ठ के तहत संग्रह शुल्क	**1,00,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	3714,80,42,458
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	364,00,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	1,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	1,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	4078,81,42,458
राजस्व	
स्वीकृत	3714,81,42,458
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	364,00,00,000
प्रभारित	...

2043-राज्य माल और सेवा कर पृष्ठ के तहत संग्रह शुल्क

51-लागू नहीं

001-निर्देशन और प्रशासन

99-मेरा बिल मेरा अधिकार

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई स्कीम है । जिसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 मे 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

मांग संख्या 05
गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओ टी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (V) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: सात हजार आठ सौ बीस करोड़ तेरह लाख उनतीस हजार रुपये

प्रभारित: दो सौ सैंतीस करोड़ पंचानबे लाख पंचानबे हजार नौ सौ अट्ठानबे रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: पाँच सौ उनासी करोड़ पचास लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2055-पुलिस

राजस्व

स्वीकृत केवल एक लाख

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2055-पुलिस

51-लागू नहीं

101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

92-हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो

51-लागू नहीं

राजस्व ₹

स्वीकृत

(01) वेतन (R)	10,000
(02) मजदूरी (R)	1,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)	5,000
(04) यात्रा खर्चे (R)	5,000
(05) कार्यालय खर्चे (R)	1,000
(06) किराया दरें तथा कर (R)	10,000
(08) विज्ञापन तथा प्रचार (R)	1,000
(13) सत्कार मनोरंजन खर्चे (R)	1,000
(15) गुप्त सेवा खर्च (R)	1,000
(17) लघु निर्माण कार्य (R)	1,000
(18) रख रखाव (R)	8,000
(24) सामग्री तथा आपूर्ति (R)	1,000
(34) अन्य प्रभार (R)	1,000
(42) कामिटमैंट चार्जेज (R)	1,000
(45) पी.ओ.एल. (R)	10,000
(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (R)	10,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	1,000
(70) एल.टी.सी. (R)	10,000
(86) प्रशिक्षण (R)	1,000
(87) मानदेय (R)	1,000
(88) संगणना (सूचना प्रोद्यौगिकी) (R)	10,000
(92) ऊर्जा प्रभार (R)	10,000
कुल	**1,00,000**
कुल 2055-पुलिस	**1,00,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24 **₹**

राजस्व

स्वीकृत 7820,13,29,000

प्रभारित	237,95,95,998
पूंजीगत	
स्वीकृत	579,52,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि **₹**

1,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	1,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- **₹**

8637,62,24,998

राजस्व	
स्वीकृत	7820,14,29,000
प्रभारित	237,95,95,998
पूंजीगत	
स्वीकृत	579,52,00,000
प्रभारित	...

2055-पुलिस

51-लागू नहीं

101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

92-हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की नई योजना के लिए सांकेतिक प्रावधान के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबंध नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है ।

मांग संख्या 06
वित्त तथा संस्थागत वित्त
और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति
एवं निपटान/आयोजना तथा
सांख्यिकी

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (VI-VII) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार छत्तीस सौ छिहत्तर करोड़ नवासी लाख चौदह हजार दो सौ रुपये

प्रभारित: दो हजार बारह सौ उनचास करोड़ नब्बे लाख तीस हजार रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: तीन सौ सत्रह करोड़ बत्तीस लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

राजस्व

स्वीकृत एक करोड़ पाँच लाख रुपये

2075-विविध सामान्य सेवाएं

राजस्व

स्वीकृत दो करोड़ उनचास लाख बयासी हजार आठ सौ पैंसठ रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

51-लागू नहीं

095-लेखा तथा खजाना निदेशालय

98-सीआर ए सेवा शुल्क

51-लागू नहीं

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(42) कामिटमैंट चार्जेज (R)	30,00,000
कुल	**30,00,000**

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

51-लागू नहीं

098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

99-मुख्यालय अमला

98-स्थापना खर्च

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(06) किराया दरें तथा कर (R)	20,00,000
(33) व्यवसाय तथा विशेष सेवा (R)	20,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	20,00,000
(79) अनुग्रह (R)	15,00,000
कुल	**75,00,000**
कुल 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	**1,05,00,000**

2075-विविध सामान्य सेवाएं

51-लागू नहीं

800-अन्य व्यय

93-वित्त विभाग के पास गैर अनुमानित खर्च हेतु आरक्षित

51-लागू नहीं

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(53) सुरक्षित (R)	2,49,82,865
कुल	**2,49,82,865**
कुल 2075-विविध सामान्य सेवाएं	**2,49,82,865**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	₹
राजस्व	
स्वीकृत	13827,09,14,200
प्रभारित	21249,90,30,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	467,32,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	3,54,82,865
राजस्व	
स्वीकृत	3,54,82,865
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	₹
	35547,86,27,065
राजस्व	
स्वीकृत	13830,63,97,065
प्रभारित	21249,90,30,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	467,32,00,000
प्रभारित	...

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

51-लागू नहीं

095-लेखा तथा खजाना निदेशालय

98-सीआर ए सेवा शुल्क

51-लागू नहीं

स्वीकृत **30,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एन एस डी एल का भुगतान के खर्चे को वहन करने हेतु 30,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 30,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

51-लागू नहीं

098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

99-मुख्यालय अमला

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत **75,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुबंधित सेवा, अनुग्रह, किराया दरें तथा कर, प्रवीणता तथा विशेष सेवा के खर्चे को वहन करने हेतु 75,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 75,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2075-विविध सामान्य सेवाएं

51-लागू नहीं

800-अन्य व्यय

93-वित्त विभाग के पास गैर अनुमानित खर्च हेतु आरक्षित

51-लागू नहीं

स्वीकृत **2,49,82,865**

आर बी आई और पी ए जी (ए एंड ई)हरियाणा कार्यालय की सलाह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान "अप्रत्याशित खर्चों के लिए एफडी के साथ रिजर्व" योजना के तहत अक्टूबर-1987 से मार्च-1997 तक की अवधि के लिए रिजर्व बैंक जमा (राज्य) से संबंधित भुगतान को बट्टे खाते में डालने के व्यय को वहन करने हेतु 2,49,82,865/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 2,49,82,865/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।
यह “स्वीकृत” (राजस्व)खर्च की मद है।

मांग संख्या 10
कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान /पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (IX-XI) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: पाँच हजार नौ सौ सत्रह करोड़ बीस लाख तीस हजार रुपये

प्रभारित: एक करोड़ चौवन लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: एक हजार छह सौ उनतीस करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2401-फसल कृषि कर्म

राजस्व

स्वीकृत दो सौ छियासी करोड़ इकसठ लाख पैंसठ हजार रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

001-निदेशन तथा प्रशासन

94-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) कृषि और किसान कल्याण विभाग (AGR-PLO-REV)

51-लागू नहीं

राजस्व ₹

स्वीकृत

(34) अन्य प्रभार (R)	150,00,00,000
कुल	**150,00,00,000**

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

108-वाणिज्यिक फसलें

81-गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना

51-लागू नहीं

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(11) अनुदान (N)	136,60,65,000
कुल	**136,60,65,000**

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी

88-हरियाणा फसल सुरक्षा योजना

51-लागू नहीं

राजस्व	**₹**
स्वीकृत	
(11) अनुदान (N)	1,00,000
कुल	**1,00,000**
कुल 2401-फसल कृषि कर्म	**286,61,65,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	5917,21,30,000
प्रभारित	1,54,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	2029,35,30,000

प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	286,61,65,000
राजस्व	
स्वीकृत	286,61,65,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	8234,72,25,000
राजस्व	
स्वीकृत	6203,82,95,000
प्रभारित	1,54,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	2029,35,30,000
प्रभारित	...

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

001-निदेशन तथा प्रशासन

94-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) कृषि और किसान कल्याण विभाग (AGR-PLO-REV)

51-लागू नहीं

स्वीकृत	**150,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के खर्चों को वहन करने के लिए 150,00,00,000/- रुपये (90,00,00,000/- रुपये केन्द्र का हिस्सा तथा 60,00,00,000/- रुपये राज्य का हिस्सा) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 150,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।
यह 'स्वीकृत' ((राजस्व) खर्च की मद है।

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

108-वाणिज्यिक फसलें

81-गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **136,60,65,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने और राज्य में विकास गतिविधियों तथा किसान मेला प्रशिक्षण, बीज नर्सरी, नमी गर्म हवा उपचार जैसी विकास गतिविधियों के खर्च को पूरा करने के लिए 136,60,65,000/- रुपये की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2023-24 मे इस राशि का उपबन्ध नही किया जा सका । अत: ₹ 136,60,65,000/- की अतिरिक्त मांग (दूसरी किस्त) द्वारा अनुपूरक अनुमान 2023-24 के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व)खर्च की मद है।

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी

88-हरियाणा फसल सुरक्षा योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा फसल सुरक्षा योजना नामक नई योजना के कार्यान्वयन के व्यय को पूरा करने के लिए टोकन मनी के रूप में 1,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व)खर्च की मद है।

मांग संख्या 12
शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/ तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XII-XIII) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: दो हजार ग्यारह सौ ग्यारह करोड़ बासठ लाख सत्तानबे हजार रुपये

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: एक हजार तीन सौ अट्ठानबे करोड़ चालीस लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2202-सामान्य शिक्षा

राजस्व

स्वीकृत सत्रह करोड़ सात लाख रुपए

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

राजस्व

स्वीकृत इकतालीस करोड़ सोलह लाख बहत्तर हजार रुपये

2236-पोषण

राजस्व

स्वीकृत एक करोड़ नौ लाख अड़तालीस हजार रुपये

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत चौबीस करोड़ बहत्तर लाख रुपये

6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

पूंजीगत

स्वीकृत पचास करोड़ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2202-सामान्य शिक्षा

02-माध्यमिक शिक्षा

109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय

80-प्रतिभा खोज योजना

51-लागू नहीं

		₹
राजस्व		
स्वीकृत		
(04) यात्रा खर्चे (N)		3,00,00,000
(05) कार्यालय खर्चे (N)		10,00,000
(06) किराया दरें तथा कर (N)		6,00,00,000
(12) छात्रवृत्ति एवम वजीफे (N)		5,00,000
(24) सामग्री तथा आपूर्ति (N)		1,00,00,000
(34) अन्य प्रभार (N)		1,00,00,000
(86) प्रशिक्षण (N)		2,00,000
(87) मानदेय (N)		90,00,000
(88) संगणना (सूचना प्रोद्यौगिकी) (N)		2,00,00,000
(89) विविध (N)		1,00,00,000
(99) खरीद (N)		2,00,00,000
कुल		**17,07,00,000**
कुल 2202-सामान्य शिक्षा		**17,07,00,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

001-निदेर्शन तथा प्रशासन

97-मुख्यालय अमला (म.वा.वि.)

98-स्थापना खर्च

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(12) छात्रवृत्ति एवम वजीफे	(R)	30,00,000
(88) संगणना (सूचना प्रोद्यौगिकी)	(R)	10,00,000
कुल		**40,00,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

92-समेकित बाल विकास परियोजना (म.बा.वि.)

51-लागू नहीं

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(34) अन्य प्रभार	(N)	2,00,00,000
(87) मानदेय	(N)	30,00,00,000
(92) ऊर्जा प्रभार	(N)	2,00,00,000
कुल		**34,00,00,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

70-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए योजना

51-लागू नहीं

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	2,79,56,000
कुल		**2,79,56,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

69-महिलाओं के लिए संकट बंद करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना स्कीम

51-लागू नहीं

राजस्व		**₹**
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	3,69,56,000
कुल		**3,69,56,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

66-महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण

51-लागू नहीं

राजस्व		**₹**
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	27,60,000
कुल		**27,60,000**
कुल 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		**41,16,72,000**

2236-पोषण

02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101-विशेष पोषण कार्यक्रम

89-किशोर लड़कियों के लिए योजना

51-लागू नहीं

राजस्व		**₹**
स्वीकृत		
(34) अन्य प्रभार	(N)	1,00,000
(34) अन्य प्रभार	(R)	1,00,000
(56) आहार और कैश डोल	(N)	40,80,000
(56) आहार और कैश डोल	(R)	40,80,000
(89) विविध	(N)	10,00,000
(89) विविध	(R)	10,00,000

कुल			**1,03,60,000**

2236-पोषण

02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

97-किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना

51-लागू नहीं

राजस्व			**₹**
स्वीकृत			
	(74) अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंश	(N)	2,94,000
	(74) अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंश	(R)	2,94,000
कुल			**5,88,000**
कुल 2236-पोषण			**1,09,48,000**

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

99-परित्यक्त स्त्रियों, विधवाओं, नवयुवतियों के लिए गृह तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र

51-लागू नहीं

पूंजीगत			**₹**
स्वीकृत			
	(16) वृहत निर्माण कार्य	(N)	23,72,00,000
कुल			**23,72,00,000**

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

96-महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस केंद्र स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु योजना

51-लागू नहीं

पूंजीगत			**₹**
स्वीकृत			
	(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	1,00,00,000

कुल	**1,00,00,000**
कुल 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	**24,72,00,000**
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	
01-सामान्य शिक्षा	
203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
96-महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को ऋण	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	**₹**
स्वीकृत	
(23) कर्जे (N)	50,00,00,000
कुल	**50,00,00,000**
कुल 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	**50,00,00,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	21249,26,97,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	2290,77,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	134,05,20,000
राजस्व	
स्वीकृत	59,33,20,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	74,72,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	23674,09,17,000
राजस्व	
स्वीकृत	21308,60,17,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	2365,49,00,000
प्रभारित	...

2202-सामान्य शिक्षा

02-माध्यमिक शिक्षा

109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय

80-प्रतिभा खोज योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **17,07,00,000**

यह एक नई राज्य योजना है। वित् वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिभा खोज स्कीम के व्यय को पूरा करने के लिए 17,07,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय के कारण इस राशि की व्यवस्था बजट अनुमान 2023-24 में नहीं की जा सकी। अत: 17,07,00,000/- रुपए की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 में (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

001-निदेर्शन तथा प्रशासन

97-मुख्यालय अमला (म.वा.वि.)

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत **40,00,000**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशिक्षुओं को लंबित वज़ीफ़ा भुगतान और कम्प्यूटरीकरण (आईटी) के व्यय को पूरा करने के लिए 40,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका | अत: 40,00,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

92-समेकित बाल विकास परियोजना (म.बा.वि.)

51-लागू नहीं

स्वीकृत **34,00,00,000**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्लेस्कूल कर्मियों के 01.04.2022 से लंबित बकाया मानदेय के व्यय को तथा 4000 प्लेस्कूलों के लिए स्मार्ट डिजिटल बोर्ड तथा ऊर्जा शुल्क के लंबित बिलो के भुगतान हेतु 34,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका । अत: 34,00,00,000/- रुपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

70-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **2,79,56,000**

यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्त वर्ष 2023-24 के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए सहायता अनुदान मद के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 2,79 56,000/- रूपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान वर्ष 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 2,79 56,000/- रूपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

69-महिलाओं के लिए संकट बंद करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना स्कीम

51-लागू नहीं

स्वीकृत **3,69,56,000**

यह 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है| वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना के लिए अनुदान-सहायता मद के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 3,69,56,000/- रूपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान वर्ष 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका | अत: 3,69,56,000/- रूपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

66-महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण

51-लागू नहीं

स्वीकृत **27,60,000**

यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महिला हेल्पलाइन योजना के सार्वभौमिकरण के लिए अनुदान सहायता वस्तु के लिए सहायता अनुदान मद के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 27,60,000/- रूपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान वर्ष 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 27,60,000/- रूपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

2236-पोषण

02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101-विशेष पोषण कार्यक्रम

89-किशोर लड़कियों के लिए योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **51,80,000**

यह एक नई केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है | वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किशोरियों के लिए योजना के तहत अन्य शुल्कों, भोजन और नकद राशि और विविध कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए 51,80,000/- रूपए (केंद्र शेयर) के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 51,80,000/- रुपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (पूंजीगत) खर्च की मद है|

स्वीकृत **51,80,000**

यह एक नई केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है | वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किशोरियों के लिए योजना के तहत अन्य शुल्कों, भोजन और नकद राशि और विविध कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए 51,80,000/-रुपए (राज्य हिस्से) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 51,80,000/- रुपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (पूंजीगत) खर्च की मद है|

2236-पोषण

02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

97-किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **2,94,000**

यह एक नई केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है | वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विशेष घटक योजना के तहत किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) के तहत अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता अनुदान के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 2,94,000/- रूपए (केंद्र शेयर) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान वर्ष 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 2,94,000/- रूपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है| यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

स्वीकृत **2,94,000**

यह एक केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है | वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विशेष घटक योजना के तहत किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) के तहत अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता अनुदान के तहत अनुदान के विरुद्ध व्यय को पूरा करने के लिए 2,94,000/- रूपए (राज्य शेयर) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान वर्ष 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 2,94,000/- रूपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है| यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

99-परित्यक्त स्त्रियों, विधवाओं, नवयुवतियों के लिए गृह तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र

51-लागू नहीं

स्वीकृत **23,72,00,000**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंचकुला में कामकाजी महिला छात्रावास के लिए भूमि की खरीद और गुरुग्राम में कामकाजी महिला छात्रावास के लिए भूमि की लागत में वृद्धि के व्यय को पूरा करने के लिए के लिए अतिरिक्त राशी के भुगतान के लिए 23,72,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 23,72,00,000/- रुपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

96-महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस केंद्र स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,00,000**

यह 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है| वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के भवन निर्माण के लिए सहायता अनुदान मद के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 1,00,00,000/- रूपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है|

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान वर्ष 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका| अत: 1,00,00,000/- रूपए की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है|

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है|

6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

01-सामान्य शिक्षा

203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

96-महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को ऋण

51-लागू नहीं

स्वीकृत **50,00,00,000**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्कीम के अंतर्गत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, हरियाणा के वेतन/पेंशन संबंधी व्यय के वितरण के लिए प्रतिबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की मांग को पूरा करने हेतु 50,00,00,000/- रुपए की राशि अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इस राशि की व्यवस्था बजट अनुमान 2023-24 में नहीं की जा सकी। अत: 50,00,00,000/- रुपए की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 में (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक पूंजीगत " स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 15
श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/ युवा मामले)

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XVI-XVI) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार छह सौ उनतालीस करोड़ चौरानबे लाख छब्बीस हजार रुपये

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: तीन सौ इकतीस करोड़ नब्बे लाख दस हजार रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

राजस्व

स्वीकृत एक लाख रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01-श्रम

190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता

98-(सहायता अनुदान)ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय डेटाबेस

51-लागू नहीं

राजस्व ₹

स्वीकृत

(09) सहायतानुदान सामान्य (R)	1,00,000
कुल	**1,00,000**
कुल 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	**1,00,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	**₹**
राजस्व	
स्वीकृत	1664,00,26,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	331,93,10,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	1,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	1,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	1995,94,36,000
राजस्व	
स्वीकृत	1664,01,26,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	331,93,10,000
प्रभारित	...

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01-श्रम

190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता

98-(सहायता अनुदान)ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय डेटाबेस

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2023 -24 मे भारत सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय डेटा बेस पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए सहायता अनुदान हेतु सांकेतिक प्रावधान के रूप में टोकन मनी 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023 -24 में इस राशि का उपबंध नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है ।

मांग संख्या 17
लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XVIII-XIX) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: पाँच हजार पाँच सौ चौदह करोड़ सात लाख रुपये

प्रभारित: पाँच लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: चार हजार पाँच सौ बहत्तर करोड़ पचासी लाख रुपये

प्रभारित: पचास करोड़ रुपये

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत एक सौ बहत्तर करोड़ चौवालीस लाख केवल

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत उनचास करोड़ पैंतालीस लाख रुपये।

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

60-अन्य वैमानिक सेवाएं

102-नेविगेशन और वायु मार्ग सेवाएँ

98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब

51-लागू नहीं

		₹
पूंजीगत		
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य	(N)	172,44,00,000
कुल		**172,44,00,000**
कुल 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय		**172,44,00,000**

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता

99-गुरुग्राम और नूंह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी।

		₹
पूंजीगत		
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य	(N)	13,66,00,000
कुल		**13,66,00,000**

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता

98-जिला गुरूग्राम किमी (0.0 से 14.410) रोड आईडी-3169 में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से जमालपुर होते हुए फर्रुखनगर तक 2 लेन सड़क का निर्माण

		₹
पूंजीगत		
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य	(N)	35,79,00,000
कुल		**35,79,00,000**
कुल 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		**49,45,00,000**

	₹
4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	

राजस्व	
स्वीकृत	6014,07,00,000
प्रभारित	5,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	5424,88,00,000
प्रभारित	150,00,00,000

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	221,89,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	221,89,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	11810,89,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	6014,07,00,000
प्रभारित	5,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	5646,77,00,000
प्रभारित	150,00,00,000

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

60-अन्य वैमानिक सेवाएं

102-नेविगेशन और वायु मार्ग सेवाएँ

98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब

51-लागू नहीं

स्वीकृत **172,44,00,000**

वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च को पूरा करने के लिए सीएलयू शुल्क के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा को भुगतान करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए 172,44,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2023-24 मे इस राशि का उपबन्ध नही किया जा सका । अत: ₹ 172,44,00,000/- की अतिरिक्त मांग (दूसरी किस्त) द्वारा अनुपूरक अनुमान 2023-24 के माध्यम से की जा रही है।
यह "स्वीकृत" (पूंजीगत) खर्च की मद है ।

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता

99-गुरुग्राम और नूंह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी।

स्वीकृत **13,66,00,000**

यह एक नई योजना है।वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत गुरुग्राम और नूंह जिले में किलोमीटर 0 से 11.50 तक सैन्य इंजीनियरिंग सेवा सड़क (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी के लिए 13,66,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 50 वर्षों के ऋण के रूप में 13,66,00,000/- रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है।
दिशानिर्देश के अनुसार, ऋण राशि वितीय वर्ष 2023-24 के भीतर खर्च की जानी है। अब, अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से 13,66,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 13,66,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (पूंजीगत) खर्च की मद है।

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता

98-जिला गुरूग्राम किमी (0.0 से 14.410) रोड आईडी-3169 में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से जमालपुर होते हुए फर्रुखनगर तक 2 लेन सड़क का निर्माण

स्वीकृत **35,79,00,000**

यह एक नई योजना है।वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत गुरूग्राम जिले में पंचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक 2 लेन सड़क के निर्माण के लिए किमी 0.0 से 17.410 सड़क आईडी-3169 के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 35,79,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 50 वर्षों के ऋण के रूप में 35,79,00,000/- रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है।

दिशानिर्देश के अनुसार, ऋण राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के भीतर खर्च की जानी है। अब, अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से 35,79,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 35,79,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (पूंजीगत) खर्च की मद है।

मांग संख्या 19
ऊर्जा विभाग (विद्युत /नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XXI-XXII) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: बारह हजार निन्यानबे करोड़ अट्ठासी लाख निन्यानबे हजार पाँच सौ रुपये

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: चार हजार एक सौ इकतालीस करोड़ बावन लाख साठ हजार रुपये

प्रभारित: तीस करोड़ रुपये

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2705-कमान क्षेत्र विकास

राजस्व

स्वीकृत दो सौ करोड़ रुपये

2801-बिजली

राजस्व

स्वीकृत
नौ सौ छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2705-कमान क्षेत्र विकास

51-लागू नहीं

188-स्वायत्त निकायों को सहायता

98-जलकुंड का निर्माण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण/विस्तार

51-लागू नहीं

	₹
राजस्व	
स्वीकृत	
(43) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (N)	200,00,00,000
कुल	**200,00,00,000**
कुल 2705-कमान क्षेत्र विकास	**200,00,00,000**

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

96-Subsidy for relief allowed uder COVID-19

51-लागू नहीं

	₹
राजस्व	
स्वीकृत	
(11) अनुदान (R)	81,15,00,000
कुल	**81,15,00,000**

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

94-यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता

51-लागू नहीं

	₹
राजस्व	
स्वीकृत	
(11) अनुदान (R)	845,10,00,000
कुल	**845,10,00,000**
कुल 2801-बिजली	**926,25,00,000**

	₹
4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	

राजस्व	
स्वीकृत	12099,91,99,500
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	4141,52,60,000
प्रभारित	30,00,00,000

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	1126,25,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	1126,25,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	17397,69,59,500
राजस्व	
स्वीकृत	13226,16,99,500
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	4141,52,60,000
प्रभारित	30,00,00,000

2705-कमान क्षेत्र विकास

51-लागू नहीं

188-स्वायत्त निकायों को सहायता

98-जलकुंड का निर्माण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण/विस्तार

51-लागू नहीं

स्वीकृत **200,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जलमार्ग के निर्माण/ पुनर्वास/रीमॉडलिंग/विस्तार के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए 43-अनुदान के तहत व्यय के लिए 200,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 200,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

96-Subsidy for relief allowed uder COVID-19

51-लागू नहीं

स्वीकृत **81,15,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोविड-19 के तहत राहत के लिए सब्सिडी की अनुमतिके व्यय के लिए 81,15,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। धन की यह आवश्यकता को पूंजीगत योजना अर्थात् पी-02-20-4215-01-101-98-99-16-आर-वी-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज, जिसका नाम बदलकर जे.जे.एम. कवरेज रखा गया है, में उपलब्ध निधियों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह एक (राज्य शेयर) मांग संख्या 20 से मांग संख्या 19 में किया जाएगा।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 81,15,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार, शुद्ध अनुपूरक शून्य होगा।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

94-यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत **845,10,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता के व्यय के लिए 845,10,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। जिसमे 458,85,00,000/- रुपये की आवश्यकता को पूंजीगत योजना अर्थात् पी-02-20-4215-01-101-98-99-16-आर-वी-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज, जिसका नाम बदलकर जे.जे.एम. कवरेज रखा गया है, में उपलब्ध निधियों से पुनर्विनियोजन (राज्य शेयर) मांग संख्या 20 के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसलिए, अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) के माध्यम से 386,25,00,000/- रुपये की शुद्ध अतिरिक्त मांग की जा रही है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 386,25,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

मांग संख्या 20
नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) /जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XXIII-XXV) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: बारह हजार आठ सौ पाँच करोड़ चौहत्तर हजार रुपये

प्रभारित: चालीस लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: पाँच हजार एक सौ छत्तीस करोड़ बहत्तर लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (दूसरी किस्त) मे अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

राजस्व

स्वीकृत दो सौ साठ करोड़ रुपये

2217-शहरी विकास

राजस्व

स्वीकृत दस लाख रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

001-निर्देशन तथा प्रशासन

89-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (PLO) सार्वजनिक स्वास्थ्य (PUH-PLO-REV)

51-लागू नहीं

		₹
राजस्व		
स्वीकृत		
(34) अन्य प्रभार	(R)	110,00,00,000
कुल		**110,00,00,000**

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम

99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव

99-ऊर्जा प्रभार

		₹
राजस्व		
स्वीकृत		
(92) ऊर्जा प्रभार	(R)	25,00,00,000
कुल		**25,00,00,000**

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

97-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

51-लागू नहीं

		₹
राजस्व		
स्वीकृत		
(92) ऊर्जा प्रभार	(R)	125,00,00,000
कुल		**125,00,00,000**
कुल 2215-जलापूर्ति तथा सफाई		**260,00,00,000**

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

99-स्वच्छ भारत मिशन (आईएचएचएल/सीटी/पीटी/ आकांक्षी शौचालय)

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	1,00,000
(09) सहायतानुदान सामान्य	(R)	1,00,000
कुल		**2,00,000**

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

98-स्वच्छ भारत मिशन में प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम)

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	1,00,000
(09) सहायतानुदान सामान्य	(R)	1,00,000
कुल		**2,00,000**

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

97-स्वच्छ भारत मिशन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)

राजस्व **₹**

स्वीकृत

(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	1,00,000
(09) सहायतानुदान सामान्य	(R)	1,00,000
कुल		**2,00,000**

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

96-स्वच्छ भारत मिशन आईईसी एवं व्यवहार परिवर्तन (आईईसी एवं बीसी)

		₹
राजस्व		
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	1,00,000
(09) सहायतानुदान सामान्य	(R)	1,00,000
कुल		**2,00,000**

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

95-स्वच्छ भारत मिशन (क्षमता निर्माण कौशल विकास एवं ज्ञान प्रबंधन)

		₹
राजस्व		
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य	(N)	1,00,000
(09) सहायतानुदान सामान्य	(R)	1,00,000
कुल		**2,00,000**
कुल 2217-शहरी विकास		**10,00,000**

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24	₹
राजस्व	
स्वीकृत	13808,02,74,000
प्रभारित	40,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	7581,51,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	**₹**
	260,10,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	260,10,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	**₹**
	21650,03,74,000
राजस्व	
स्वीकृत	14068,12,74,000
प्रभारित	40,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	7581,51,00,000
प्रभारित	...

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

001-निर्देशन तथा प्रशासन

89-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (PLO) सार्वजनिक स्वास्थ्य (PUH-PLO-REV)

51-लागू नहीं

स्वीकृत	**110,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन, अन्य शुल्क, पीओएल, एलटीसी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जल आपूर्ति के रखरखाव आदि के व्यय के लिए 110,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। धन की यह आवश्यकता को पूंजीगत योजना अर्थात् पी-02-20-4215-01-101-98-99-16-आर-वी-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज, जिसका नाम बदलकर जे.जे.एम. कवरेज रखा गया है, में उपलब्ध मौजूदा निधियों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह एक ही (राज्य शेयर) मांग संख्या 20 से संबंधित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 110,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार, शुद्ध अनुपूरक शून्य होगा।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम

99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव

99-ऊर्जा प्रभार

स्वीकृत **25,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शहरी क्षेत्र के लिए ऊर्जा शुल्क के व्यय के लिए 25,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। धन की यह आवश्यकता को पूंजीगत योजना अर्थात् पी-02-20-4215-01-101-98-99-16-आर-वी-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज, जिसका नाम बदलकर जे.जे.एम. कवरेज रखा गया है, में उपलब्ध मौजूदा निधियों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह एक ही (राज्य शेयर) मांग संख्या 20 से संबंधित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 25,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार, शुद्ध अनुपूरक शून्य होगा।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

97-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

51-लागू नहीं

स्वीकृत **125,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऊर्जा शुल्क के व्यय के लिए 125,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। धन की यह आवश्यकता को पूंजीगत योजना अर्थात् पी-02-20-4215-01-101-98-99-16-आर-वी-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज, जिसका नाम बदलकर जे.जे.एम. कवरेज रखा गया है, में उपलब्ध निधियों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह एक ही (राज्य शेयर) मांग संख्या 20 से संबंधित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 125,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार, शुद्ध अनुपूरक शून्य होगा।

यह 'स्वीकृत' (राजस्व) खर्च की मद है।

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

99-स्वच्छ भारत मिशन (आईएचएचएल/सीटी/पीटी/ आकांक्षी शौचालय)

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आई.एच.एच.एल./सी.टी./पी.टी./आकांक्षी शौचालय के खर्चे को वहन करने हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आई.एच.एच.एल./सी.टी./पी.टी./आकांक्षी शौचालय के खर्चे को वहन करने हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

98-स्वच्छ भारत मिशन में प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम)

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रयुक्त जल प्रबंधन के खर्चे को वहन करने हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रयुक्त जल प्रबंधन के खर्चे को वहन करने हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

97-स्वच्छ भारत मिशन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के खर्चे को वहन करने हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के खर्चे को वहन करने हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

96-स्वच्छ भारत मिशन आईईसी एवं व्यवहार परिवर्तन (आईईसी एवं बीसी)

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आई.ई.सी. और व्यवहार परिवर्तन के खर्चे को वहन करने हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आई.ई.सी. और व्यवहार परिवर्तन के खर्चे को वहन करने हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

2217-शहरी विकास

80-सामान्य

192-नगरपालिका / नगर परिषदों के लिए सहायता

88-स्वच्छ भारत मिशन

95-स्वच्छ भारत मिशन (क्षमता निर्माण कौशल विकास एवं ज्ञान प्रबंधन)

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं ज्ञान प्रबंधन के खर्चे को वहन करने हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका ।अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई केंद्रीय स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं ज्ञान प्रबंधन के खर्चे को वहन करने हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए साकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । अतः 1,00,000/- रूपये की साकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (दूसरी क़िस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।